



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1450/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2010-43-मा०सं० (04)/2008

दिनांक 22 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन की अनुरूपता में पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण किये जाने विषयक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 397-पी० एण्ड आर०-28/पाकालि/ 2009-60 पी०एण्डआर०/98 दिनांक 02.03.2009 को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु निगम के कार्यालय ज्ञाप सं०: 804/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/ 2009-43-मा०सं०(04)/2008, दिनांक 26.05.2009 द्वारा अंगीकृत किया गया है।

तदनुसार, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 02.03.2009 के अनुक्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 5226-पें० एवं आर०-28/पाकालि/10-60पी०-98 टी०सी०-1, दिनांक 22.11.2010 को भी निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1450 (1)/मा०सं०(04) /उ०नि०लि०/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक, (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/पी०पी०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़)/कानपुर/लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा/मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, मानव संसाधन(01/02/03/04/05/06)/ चिकित्सा/रिफार्म/ औद्योगिक सम्बन्ध/टाण्डा वाइंडिंग सेल एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/ विस्तार, लखनऊ।

PM-3, Pragate

Pl. put it on net

3/1/11

क्रमशः 2/-

8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष संख्या 906, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेंट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
11. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्ध इकाई), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/उप सचिव(01/06)/अनु सचिव(02)/अधिसासी अभियन्ता(03)/(अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
13. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

आज्ञा से,



(राम विशाल पाण्डेय)

उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-04)



1450 101/2/2010 2.9.10
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उद्योग)
14 - अशोक मार्ग - रावत भवन - लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(व्यवसायिक प्रतिष्ठान, लखनऊ)

पत्रांक:-5226-पै० एवं आर०-28/पाकालि/10-60पी-98टी०सी०-।

दिनांक: 22 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० शासन द्वारा 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त अपने सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या : सा-3-1515/दस-2008/308/97, दिनांक 08.12.2008 को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को एवं वितरण कम्पनियों व ट्रांसकों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु संगत अन्य शासनादेशों सहित कार्यालय ज्ञाप संख्या : 397-पै० एवं आर०-28/पाकालि/09-60पी/98, दिनांक 02.03.2009 द्वारा कतिपय अन्य संशोधनों सहित अंगीकृत किया गया है।

2. शासन ने अब उक्त आदेश संख्या : सा-3-1515/दस-2008/308/97, दिनांक 08.12.2008 के अनुक्रम में प्रस्तर 4 (I)(IV) को का०ज्ञा०/शुद्धि पत्र संख्या : सा-3-1358/दस-2010, दिनांक 19.07.2010 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित किया है :-

वर्तमान व्यवस्था	एतद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैंड के न्यूनतम तथा सम्बन्धित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।	किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (Corresponding) वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच०ए०जी० तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतन मान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

3. उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिस्थापित की गई उक्त व्यवस्था को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, द्वारा अपने एवं समस्त डिस्कम्स सहित ट्रांसको के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए निदेशक मंडल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में संलग्न शासनादेश के प्रस्तर 2 एवं 3 में यथा स्थान कतिपय आवश्यक संशोधनों के साथ कमशः निम्नवत अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया है:-

(I) दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व कारपोरेशन में लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सदृश वेतन बैंड, जैसा कि इस आदेश के साथ संलग्न तालिका- (अनुलग्नक क) में दिये गये हैं, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि दर्शायी गई है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहाँ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह कारपोरेशन के परिपेक्ष्य में रूपयें 3865/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

(II) कारपोरेशन के आदेश सं०-1094-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2010-4-काविनी/94 दिनांक 01.09.2010 के अभीष्ट क्रियान्वयन हेतु कारपोरेशन के दिनांक 01 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन/प्रकल्पित वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुए) घटा कर किया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देय होगा।

4. उपरोक्त शासनादेश को अंगीकृत कराये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम पेंशन संलग्न तालिका (अनुल के अनुसार तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आगणन शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप दिनांक 19.07.10, अनुमन्य कराया जाय परन्तु कारपोरेशन के तृतीय समयवद्ध वेतनमान के उच्चीकरण आदेश सं०-981-काविनी वे०प्र०-29/पाकालि दिनांक 14.08.10 एवं स्पष्टीकरण आदेश 1094-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10, दिनांक 01.09.10 के प्रस्तर-3 के अनुसार उच्चीकरण का वास्तविक लाभ पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 20.07.10 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर अनुमन्य होगा।

संलग्नक : यथोक्त।



(नवनीत सिंहगल)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक




संख्या :- 5226(1) पी०एण्डआर०/पाकालि०/2010-108 पी-31/90 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि० लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
16. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी को कारपोरेशन द्वारा निर्गत विभिन्न पेंशन पुनरीक्षण आदेशों की एक प्रति के साथ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. कट फाइल।

आज्ञा से,



(रज्जन लाल) 22/11/10

अपर सचिव (अरा०)



क्रम सं०	01.01.96 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान	01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैंड	सादृश्य ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन (आदेश सं० 175 दि० 19.2.09 की अनुसूची-क के अनुसार)	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग (4+5)	01.01.2006 को न्यूनतम पेंशन (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
1-	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1 5200-20200	1900	5830	7730	3865
2-	3200-85-4900	वेतन बैंड-1 5200-20200	2000	6460	8460	4230
3-	3500-85-5455	वेतन बैंड-1 5200-20200	2200	6510	8710	4355
4-	4200-100-6400 (यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4300/-)	वेतन बैंड-1 5200-20200	2600	8000	10600	5300
5-	4500-125-7500(यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4625/-)	वेतन बैंड-1 5200-20200	3000	8610	11610	5805
6-	5300-150-8600(अवर अभियंताओं को छोड़कर)	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	9860	14060	7030
7-	5300-150-5600-175-9100 (अवर अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 5600/-)	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	9860	14060	7030
8-	5850-175-9000-200-9400	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	9860	14060	7030
9-	6000-200-10400	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200	9860	14060	7030
10-	6500-200-10500-250-11000	वेतन बैंड-2 9300-34800	4800	13350 (उपरोक्त शासन की अनुरूपता में)	18150	9075
11-	8550-275-13500(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 9375/-)	वेतन बैंड-3 15600-39100	5400	15600	21000	10500
12-	10650-325-15200(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 11300/-)	वेतन बैंड-3 15600-39100	6600	18750	25350	12675
13-	14300-400-18300(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 15100/-)	वेतन बैंड-4 37400-67000	8700	37400	46100	23050
14-	16400-450-20000(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 17300/-)	वेतन बैंड-4 37400-67000	8900	40200	49100	24550
15-	18400-500-22400(अभियंता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 18900/-)	वेतन बैंड-4 37400-67000	10000	43000	53000	26500
16-	21350-525-23975	वेतन बैंड-4 37400-67000	11000	47100	58100	29050

नोट : 1- वेतन (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 दिसम्बर 2008 के उपरान्त जहाँ किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैंड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हो, वहाँ ऐसे संशोधन को संज्ञान में लेते हुये संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगणन किया जायेगा ।

संख्या 3785 पेंशन एवं आरक्षण-28/पाकलि/10
 पत्रावली संख्या 60-P/90
 पत्रांक/क्रमांक 95-c duplicate

उत्तर प्रदेश शासन
 वित्त (साहाय्य) अनुभाग-3
 संख्या: 3-1358/दसा-2010

सं. 3210 अपर सचिव (संरक्षण/पाकलि/20)
 दिनांक 06/10/10

लखनऊ दिनांक 19 जुलाई 2010

नि. (का. प्र. एवं प्रशा.) पाकलि/20/10

कार्यालय-ज्ञाप / श्रुति पत्र

पेंशन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/घरिवारिक पेंशनरों की पेंशन/घरिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दसा-2008-308/97 दिनांक 8.12.2008 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्ताव 4(i)(iv) को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित समझा जाये :-

वर्तमान व्यवस्था

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनरों की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वे बैंड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रैंड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी।

इतद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनरों को पुनरीक्षण पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (corresponding) वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रैंड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0एच0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम या 50 प्रतिशत होगी।

दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षण वेतन संरचना में सदृश वेतन बैंड, जैसा कि वित्त(वेतन-आयोग)अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा/आ-2-13400/दसा-39(एच0)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में दिये गये हैं, में न्यूनतम वेतन तथा ग्रैंड पे एवं दिनांक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिए गए हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहाँ अधिकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहाँ यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रुपये 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

दिनांक 01 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों, पुनर्योजन पर टिकट वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अतिरिक्त वेतन में से शुद्ध पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करके) घटा कर किया गया है, जो इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षण पेंशन का लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि से देया जायेगा।

संलग्नक : 3/2010

भवदीय,

अनूप मिश्र
 प्रमुख सचिव, वित्त

श्रीतिवादी जी.
 कृप. प्र. सं. सं.
 कोषाध्यक्ष
 ज्ञाप (सचिव (आ.प.))

- (1)-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2)-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3)-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक प्र. की प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) प्रत्येक को 50 प्रतियाँ।
 कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु अन्य प्रतियाँ।

निदेशक (का. प्र. एवं प्रशा.)
 इ.च. प्रावर कारपोरेट लिमिटेड

अनुसूचक (पेंशन/आ.प.)

रॉय
 6/9/10

04/9/10

SC/PR/R
 6/9/10

संख्या-सा-3-1358(1)/दस-2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- | | प्रत्येक को एक प्रति |
|---|----------------------|
| 1- सचिवालय के समस्त अनुभाग। | -5 प्रतियों- |
| 2- सचिव, विधान सभा, परिषद, विधान भवन, लखनऊ। | -5 प्रतियों- |
| 3- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ। | -5 प्रतियों- |
| 4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ। | -5 प्रतियों- |
| 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | -5 प्रतियों- |
| 6- सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को प्रचारार्थ। | -5 प्रतियों- |
| 7- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०, इलाहाबाद | -5 प्रतियों- |
| 8- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा, विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद। | -5 प्रतियों- |
| 9- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र० कानपुर। | -5 प्रतियों- |
| 10- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ। | -5 प्रतियों- |
| 11- इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ। | -5 प्रतियों- |
| 12- मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खादय एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ।
नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चक्रबन्दी, पावित्रिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उ०प्र० लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियों, उ०प्र०, महानिरीक्षक, होमगार्ड्स, उ०प्र० प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ०प्र० लखनऊ, महानिदेशक, स्वास्थ्य, उ०प्र० लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, विक्रित्सा, शिक्षा विभाग, प्रौढ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, शासी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर। | -5 प्रतियों- |

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

10/05/2010-20/10/10 36 सी.सी.टी.सी.-18.08.2010-(640)-5000 टी.टी.सी. (क) / 110

कार्यालय-शाप संख्या-सा-3-1358/दस-2010 दिनांक 19 जुलाई 2010 का संलग्नक

क्रम संख्या	दिनांक 01 जनवरी, 2008 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 01 जनवरी, 2008 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन श्रेण्ड तथा ग्रेड पे	वेतन श्रेण्ड में न्यूनतम वेतन	ग्रेड पे	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	दिनांक 01 जनवरी, 2008 को न्यूनतम वेतन	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2750-70-3800-75-4400	5200-20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3000-75-3900-80-4500	5200-20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200-80-4000	5200-20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000-100-5000	5200-20200	2400	7510	2400	9910	4955
5	4500-125-7000	5200-20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500-125-7250	5200-20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000-150-8000	8300-34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5600-175-9000	8300-34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500-200-10500	8300-34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450-225-11600	8300-34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7800-250-12000	8300-34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000-275-13500	8300-34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000-275-13500	15500-39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550-275-14800	15500-39100	5400	15600	5400	21000	10500
15	10000-325-15200	15800-39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10350-325-15350	15800-39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000-375-16500	16800-39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300-400-18300	37400-87000	8700	37400	8700	46100	23050
19	18400-450-20000	37400-87000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400-500-22400	37400-87000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400-525-24500	67000-79000	---	67000	---	67000	33500

टिप्पणी:-

(1)- दिनांक 01-01-2008 के पूर्व के वेतनमान (क) 2000-3200, रू 2610-3640 तथा रू 2850-4000 का संबंध इस शर्तिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 01-01-2008 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन श्रेण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग रू 7000/- से कम होने के कारण इन वेतनमानों से सम्बन्धित कार्यवाहियों की न्यूनतम वेतन रू 7000/- प्रति माह निर्धारित होगी।

(2)- विल (वेतन-आयोग) अधिनियम-2 के अन्तर्गत शाप दिनांक 08 दिसम्बर 2008 से उपरान्त, जहाँ किसी पुराने वेतनमान के समान श्रेण्ड अथवा ग्रेड वेतन में सम्मेलन किया गया है, जहाँ ऐसे सम्मेलन से उत्पन्न हुए कार्यवाहियों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन को नर्सियों में सम्मिलन कर न्यूनतम वेतन की रीति का आग्रह किया जायेगा।